सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-370/2022 दिनांक- 06-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

पूर्व के दर्ज मुकदमें में सुलह हेतु दबाव बनाने के लिए अपने ऊपर जानलेवा हमले की साजिश रचने वाला अभियुक्त आशुतोष सहित 06 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

➡ दिनांक 04.02.22 को थानाक्षेत्र जहानागंज के ग्राम हथौटा के एक ट्यूटवेल से दो हार्सपावर का मोटर चोरी किया गया था, जिसमें वादी अरविन्द यादव पुत्र मोतीलाल यादव साकिन हथौटा थाना जहानागंज आजमगढ़ की तहरीर पर मु0अ0सं0 88/22 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ, विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। विवेचक द्वारा धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए दिनांक 15.09.22 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है।

➡ दिनांक 24.04.22 को थाना क्षेत्र जहानागंज के ग्राम पिपरिया जिगरसण्डी से एक व्यक्ति के घर में घुसकर बक्से का ताला तोड़कर कुछ जेवरात व दस हजार रुपये नगद चोरी किया गया था, जिसमें उमाशंकर यादव पुत्र रामधनी यादव साकिन पिपरिया जिगरसण्डी थाना जहानागंज आजमगढ़ की तहरीर पर दिनांक 24.04.22 कोउमु0अ0सं0 155/22 धारा 457, 380 भादवि पंजीकृत हुआ, विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए दिनांक 22.09.22 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है।

➡ इस गिरोह द्वारा दिनांक 25.04.22 को थाना क्षेत्र जहानागंज के ग्राम नरहेथा में एक घर से पंखा, पाइप व दीवाल घड़ी आदि चोरी किया गया था, जिसमें वादी अवधेश कुमार यादव पुत्र मन्तू यादव साकिन नरहेथा थाना जहानागंज आजमगढ़ की तहरीर पर मु0अ0सं0 158/22 धारा 457, 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ, विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 18.09.22 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है।

➡ दिनांक 12.05.22 को थाना क्षेत्र जहानागंज के ग्राम महुआमुरारपुर में खेत मे लगे नलकूप का मोटर चोरी किया गया था, जिसमें वादी बृजेश सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह साकिन महुआमुरारपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ की तहरीर पर मु0अ0सं0 236/22 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ, विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, प्रकाश में आये अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त विवेचक द्वारा धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए दिनांक 24.09.22 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है।

➡ दिनांक 27.06.22 को थाना क्षेत्र जहानागंज के ग्राम कारीसाथ में एक घर में घुसकर कुछ सोने के जेवर व नकद 7000 रुपये की चोरी किया गया था, जिसमें वादी सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 बलिहारी राम साकिन कारीसाथ थाना जहानागंज आजमगढ़ के तहरीर पर मु0अ0सं0 271/22 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ, विवेचना के दौरान अभियुक्त दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए दिनांक 26.08.22 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है।

➡ इस गिरोह द्वारा दिनांक 08.07.22 को वादी आशुतोष सिंह पुत्र बाल मुकुन्द सिंह ग्रा0 पो0 गम्भीरवन थाना जहानागंज आजमगढ द्वारा तहरीर दी गयी कि अपने गांव के मन्दिर के पास पोखरे का सौन्दर्यीकरण के दौरान पुरानी रंजिश व राजनैतिक प्रतिद्वंदितावश गाँव के ही कुछ लोगो द्वारा 02 अज्ञात व्यक्तियो के सहयोग से मेंरे ऊपर पिस्टल व कट्टे से जान से मारने की नियत से मेंरे ऊपर फायर करवाया व भाग गये। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 287/22 धारा 307, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया

➡ जिसमें विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी अजय सिंह (पूर्व प्रधान) ने सन् 2015 में वादी/अभियुक्त आशुतोष सिंह के विरूद्ध धारा 307 भादवि का मुकदमा पंजीकृत कराया था जो ट्रायल पर चल रहा था, उसी मुकदमें में सुलह हेतु दबाव बनाने के लिए आशुतोष ने स्वयं के ऊपर साजिश के तहत हमला कराया गया, जिसमें 1.आशुतोष सिंह उर्फ सुगन्ध सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह नि0 गंभीरवन थाना जहानागंज आजमगढ 2. अजीत सिंहउर्फ बुलन्द सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह नि0 गंभीरवन थाना जहानागंज आजमगढ 3. विजय सिंह पुत्र स्व0 राजवहादुर सिंह नि0 भैरोहा थाना अहरौला आजमगढ 4.अशोक यादव पुत्र राजाराम यादव नि0डीगुरपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ 5.दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी गजही थाना अहरौला

आजमगढ 6. सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद नि0 वाजिदपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ के विरुद्ध दिनांक 23.09.22 को आरोप पत्र संख्या मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है।

➡ दिनांक 19.09.22 को इस गिरोह द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम भुजही के पास चोरी व नकबजनी की घटना कारित करने के दौरान मुठभेड में अवैध असलहे से पुलिस पार्टी के ऊपर जान मारने की नियत से फायर किया गया जिसमें अभियुक्तगण दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 346/22 धारा 420, 467, 468, 471, 307, 34 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ उपरोक्त मुकदमें में दिनांक 09.09.22 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, अभियुक्त 1.दीपचन्द निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही पुत्र सन्ता निषाद निवासी ग्राम गजही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 2. सुनील निषाद पुत्र रामकेश निषाद निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, 3. अशोक यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी डिंगुरपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, 4. विजय कुमार सिंह उर्फ लालू सिंह पुत्र स्व0 राजबहादुर सिंह साकिन भेदौरा थाना अहरौला आजमगढ़, 5. अजित सिंह उर्फ बुलन्द सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह साकिन गम्भीरवन थाना जहानागंज आजमगढ़, 6.आशुतोष सिंह उर्फ सुगन्ध सिंह पुत्र बालमुकुन्द सिंह साकिन गंभीरवन थाना जहानागंज आजमगढ़ के विरूद्ध मु.अ.स. 441/22 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 3(1) का अपराध पंजीकृत किया गया।

थाना- फूलपुर

चोरी की घटना का अनावरण; अन्तर्जनपदीय 02 हिस्ट्रीशीटर बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की 05 बाइक व अवैध असलहा कारतूस बरामद, 01 दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज।

पूर्व की घटना

दिनांक- 04.11.2022 को वादी मुन्नर राजभर निवासी पकड़ी कला, थाना फूलपुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक- 03.11.2022 को अज्ञात चोरों द्वारा वादी की बाइक ग्राम जगदीशपुर से चोरी कर ली गयी है, के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 350/22 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक- 06.11.2022 को उ0नि0 माखन सिंह मय हमराह व उ0नि0 श्री बिपिन सिंह मय हमराह बस अड्डा कस्बा फूलपुर में मौजुद थे कि सूचना मिली की दो व्यक्ति चोरी की मोटरसाईकिल लेकर सरायमीर की तरफ से आ रहे है और जगदीशपुर की तरफ जाने वाले हैं इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचे तो दो मोटर साईकिले आती हुई दिखाई दी जिन्हे रोकने का इशारा किया गया लेकिन पुलिस वालो को अपने नजदीक देखकर दोनो मोटर साईकिल सवार अपनी अपनी मोटर साईकिल मोड़कर पीछे भागना चाहे कि लेकिन घेर कर मौके पर ही दोनो मोटर साईकिल सवारो को पकड़ लिया गया। मो0सा0 नम्बर UP.50 CC.8945 TVS XL 100 के चालक ने अपना नाम ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ ज्ञानू पुत्र शोभनाथ यादव ग्राम जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ उम्र -35 वर्ष वताया। उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर वरामद हुआ। मो0 सा0 नं0 UP.62 P.4623 हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्लस के चालक का नाम पता पूंछा गया तो अपना नाम मो0आकिब उर्फ बिस्मिल्ला पुत्र स्व0 मो0 दिलदार ग्राम मकसुदिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ उम्र -22 वर्ष वताया। उसके कब्ज से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर वरामद हुआ। पूछताछ में दोनो अभियुक्तो उनके बताये हुए स्थान पर गये तो ग्राम अहिरीपुर मार्ग पर सूनसान स्थान पर बने हुए कमरो में एक कमरे में जाकर दोनो नें कमरे के कोने में खड़ी की गयी तीन अदद् मो0सा0 को बरामद किया गया। दोनो अभियुक्तो को समय 03.30 बजे हिरासत पुलिस में तथा 05 अदद मोटर साईकिल व दो अदद तमंचा 315 बोर व 4 अदद कारतूस 315 बोर जिसे सिलकर सर्व मुहर किया गया है कब्जा पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम दोनो एक साथ मिलकर मो0सा0 चुराते है तथा लोगो को धोखा देने के लिए नम्बर प्लेट बदल देते हैं। सन्देह होने पर और अधिक कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनो नें वताया कि हम लोंगो अन्य जगहो से चुराकर 03 अदद मो0सा0 ग्राम अहिरी पुर वाले रास्ते पर सड़क के किनारे सूनसान स्थान पर बने कमरो में से एक कमरे में छुपाकर रखे है। दोनो अभियुक्तों को साथ लेकर उनके बताये हुए स्थान पर गये तो ग्राम अहिरीपुर मार्ग पर सूनसान स्थान पर बने हुए कमरो में एक कमरे में जाकर दोनो नें कमरे के कोने में खड़ी की गयी तीन अदद् मो0सा0 जो चद्दर से ढक्कर छुपायी गयी थी। जिसको मौके से बरामद कराया गया है, दो मोटर साईकिलो का नम्बर प्लेट बदल दिये है एक में नम्बर प्लेट नही लगा है। हम लोग कई जगहो पर शाहगंज ,खेतासराय, जौनपुर ,अम्बेडकरनगर व आसपास के थाना क्षेत्र में दोनो मिलकर गैंग के रूप में मोटर साईकिल की चोरी वाली घटना किये है।

पंजीकृत मुकदमा –

1-मु0अ0सं0 - 355/2022 धारा **411, 414, 420, 473, IPC** थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2 मु0अ0सं0 - 356/2022 धारा **3/25 आर्म्स एक्ट** थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

3 मु0अ0सं0 – 357 /2022 धारा **3/25 आर्म्स एक्ट** थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास- ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ ज्ञानू

1.मु0अ0सं0 135/2016 धारा 41,411 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
2.मु0अ0स0 51/2019 धारा 3/25 **आर्म्स एक्ट** थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
3.मु0अ0सं0 135/16 धारा 41/411भादवि थाना थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
4.मु0अ0सं0 52/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़
5. मुअ0सं0 15/18 धारा 174 ए भादवि थाना फूलपुर आजमगढ
6.मु0अ0सं0 234/20 धारा धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़
7.मु0अ0सं0 178/21धारा 60(1) आबकारी अधि0व 272/273 भादवि थाना फूलपुर
8. मु0अ0सं 221/06 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़
9.मु0अ0सं0 222/06 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना थाना फूलपुर आजमगढ
10. मु0अ0सं0 1239/10 धारा 307 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ
11. मु0अ0सं0 1241/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना थाना फूलपुर आजमगढ
12.मु0अ0सं0 –निल/10 धारा 41/411भादवि थाना फूलपुर आजमगढ
13.मु0अ0सं0 -263/05 धारा -392/411 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
14.मु0अ0सं0 -270/05 धारा -3/25 आर्मस एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
15. .मु0अ0सं0 -120/06 धारा -506/384/120बी भादवि व 5 एक्सप्लोसिस एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

अपराधिक इतिहास-1. मो0आकिब उर्फ बिस्मिल्ला

1. **मु0अ0सं0 -180/22 धारा -60 आवकारी अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ**
2. **मु0अ0सं0 -195/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ**
3. **मु0अ0सं0 -200/22 धारा -406/506 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ ज्ञानू पुत्र शोभनाथ यादव ग्राम जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
2.मो0आकिब उर्फ बिस्मिल्ला पुत्र स्व0 मो0 दिलदार ग्राम मकसुदिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी-

1. पाँच अदद चोरी की मोटर साईकिल
2. दो अदद अवैध तमन्चा 315 बोर
3. चार अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 माखन सिंह व उ0नि0 श्री बिपिन सिंह थाना फूलपुर आजमगढ़।
2. का0 सुधीर कुमार विश्वकर्मा, का0 सत्येन्द्र कुमार पाल, का0 इरफान अहमद थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना- मेहनाजपुर
वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक- 05.11.2022 को वादी डा0 ओम प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 राजेन्द्र नाथ तिवारी निवासी ग्राम बरवा थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक- 04.11.2022 को विपक्षी द्वारा वादी के बने पक्के बाउन्ड्री को तोड़कर क्षतिग्रस्त करते हुए वादी को धक्का देते हुए चला गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 155/2022 धारा 327 IPC पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण :- दिनांक 06.11.2022 को उ0नि0 सूर्यकान्त पाण्डेय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त परदेशी पुत्र सकलू निवासी बरवाँ थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ को मेहनाजपुर बस स्टैण्ड के पास से समय करीब 11.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया |अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग– मु.अ.स. 155/22 धारा 327 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त. परदेशी पुत्र सकलू नि0 बरवाँ थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम- **01.** उ0नि0 सूर्यकान्त पाण्डेय मय हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।